

न्यायालय तहसीलदार, गंगापुर सिटी (जिला- सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 5/19

तारीख रजू : 25.6.19

निर्णय दिनांक : 31-10-19

सरकार बनाम अरुण कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चन्द शर्मा

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापुर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि अरुण कुमार शर्मा पुत्र सुरेश चन्द शर्मा जाति ब्रह्मण, निवासी गंगापुर ने खसरा नं. 138 रकबा 0.03 है 0 किस्म गै0मु0चारागाह वाके ग्राम मिर्जापुर पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से पक्की बाउण्डीवाल बनाकर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। गैरसायल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में जबाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 138 मिर्जापुर रकबा 0.03 पर किसी प्रकार का कब्जा कर अतिक्रमण नहीं किया गया है। अगर उक्त आराजी खसरा नम्बर, खातेदारी भूमि में मिल गया है तो कब्जा हटा लेगा। अतिक्रमी की आपत्ति पर दो भूअभिलेख निरीक्षक दो पटवारीयो की संयुक्त टीम गठित कर अतिक्रमण की जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में संयुक्त टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पटवारी हल्का द्वारा जो अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है वह सही है तथा अतिक्रमी के अतिक्रमण क पुष्टि की है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली, आपत्ति अतिक्रमी एवं रिपोर्ट संयुक्त टीक का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 1.46 की 50 गुनी शास्ति 73/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर एवं बेदखल कर पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से माँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या ...3...

पर रुपये 73/- की कायमी वर्ष

2019-20 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार
गंगापुर सिटी